प्रेस विज्ञप्ति

05.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने दिल्ली जल बोर्ड [डीजेबी] के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार मामले के संबंध में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर 03.07.2024 को तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने एसीबी, जीएनसीटीडी, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की जिसमें पप्पनकला , निलोठी [पैकेज 1], नजफगढ़ , केशोपुर [पैकेज 2], कोरोनेशन पिलर, नरेला , रोहिणी [पैकेज 3] और कोंडली [पैकेज 4] में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के संवर्धन और उन्नयन के नाम पर दि.ज.बो. में घोटाला करने का आरोप लगाया गया था। अक्टूबर 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम संस्थाओं को 1943 करोड़ रुपये मूल्य की 4 निविदाएं प्रदान किए गए थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सभी चार निविदाओं में केवल तीन (03) संयुक्त उद्यम कंपनियों [जेवी] ने भाग लिया। जबकि दो जेवी ने प्रत्येक ने एक निविदा प्राप्त किया और एक जेवी ने दो निविदा प्राप्त किए। तीनों संयुक्त उद्यमों ने 4 एसटीपी निविदाओं में पारस्परिक रूप से भाग लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक को निविदा मिले। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि निविदा की शर्तों को प्रतिबंधित किया गया था जिसमें आईएफएएस तकनीक को अपनाना भी शामिल था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ चुनिंदा संस्थाएं 4 निविदाओं में भाग ले सकें। तैयार किए गए लागत अनुमान प्रारंभ में 1546 करोड़ रुपये थे, लेकिन निविदा प्रक्रिया के दौरान इसे संशोधित कर 1943 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि 3 संयुक्त उद्यमों को बढ़ी हुई दरों पर अनुबंध दिए गए जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में पता चला है कि एसटीपी से संबंधित 1943 करोड़ रुपये के 4 टेंडर डीजेबी द्वारा 3 संयुक्त उद्यमों को दिए गए थे। सभी 4 टेंडरों में, [3 सांझा संयुक्त उद्यमों में से] 2 संयुक्त उद्यमों ने प्रत्येक टेंडर में भाग लिया और सभी 3 संयुक्त उद्यमों ने टेंडर हासिल किए। उन्नयन और बढ़त के लिए डीजेबी द्वारा अपनाई गई लागत समान थी, हालांकि उन्नयन की लागत बढ़त की लागत की अपेक्षा से कम है। आगे की जांच से पता चलता है कि सभी 3 संयुक्त उद्यमों ने टेंडर हासिल करने के लिए डीजेबी को ताइवान परियोजना से जारी एक ही अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और इसे बिना किसी सत्यापन के स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद, सभी 3 संयुक्त उद्यमों

ने 4 टेंडरों से संबंधित कार्य मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को उप-ठेके पर दे दिया ।

तलाशी अभियान के दौरान 41 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।